Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सं.सी/03/2009-एमपीलैड्स

Dated 22.07.2010

सेवा में

आयुक्त,
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम,
सभी जिलों के जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।

विषयः एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुबंध-II की मद-8 का संशोधन ।

महोदय/महोदया,

जिला प्राधिकारियों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के आधार पर मंत्रालय ने यह महसूस किया है कि कार्य को पूरा करने के लिए कार्य की लागत की 10 प्रतिशत राशि पर्याप्त नहीं है और एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुबंध-II की मद-8 में उल्लिखित कार्य की पूंजीगत लागत की 10 प्रतिशत राशि की मौजूदा शर्त में संशोधन की आवश्यकता है ।

2. इस मामले की मंत्रालय में जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि **सरकारी संगठनों** के लिए एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुबंध-II की क्रम सं. 8 में उल्लिखित चल वस्तुओं की खरीद, कार्य की पूंजीगत लागत की 10 प्रतिशत की शर्त के अध्यधीन नहीं होगी । तथापि, यह दोहराया जाता है कि चल वस्तुओं अर्थात् **वाहन, अर्थमूवर्स और अस्पतालों के लिए आशयित उपस्करों, शैक्षणिक, खेल, पेयजल और साफ-सफाई के प्रयोजनार्थ काम आने वाली वस्तुओं की खरीद की अनुमति केवल केन्द्र, राज्य, संघ राज्यक्षेत्र और स्थानीय स्वशासन से संबंधित संगठनों के लिए ही होगी** ।

भवदीय,

(किरन वासुदेवा)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्सः 011-23743291

प्रतिलिपिः

1. सभी माननीय सांसद(लोक सभा और राज्य सभा)
2. सचिव, एमपीलैड्स नोडल विभाग(सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. निदेशक, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
4. निदेशक, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
5. एनआईसी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।